

कार्यालय-अध्यक्ष, गौणिय्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0संशोधन/1055 /2025::लखनऊ:जुलाई, 21, 2025

::-संशोधित आदेश:-

30 अनुपमा गोयल, सदस्य गौणिय्य कर अधिकरण पीठ-5 वाराणसी द्वारा बिना हिस्से संख्या के वाट्सऐप के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 19.07.2025 पर विद्यार्थीपरान्त मुख्यालय के आदेशांक-1054/2025, दिनांक 16.07.2025 द्वारा जनपद वाराणसी में दिनांक 21.07.2025 से दिनांक 25.07.2025 तक संशोधित खण्ड पीठ गठित की गयी थी। जो अनुपमा गोयल द्वारा संगत अवधि में कार्यभार ग्रहण काल अवकाश आवेदित करने के कारण संशोधित गठित युगल पीठ निरस्त किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाए।

ह0/21.07.2025
(रमेश चन्द-1)
एव0ज0एव0
अध्यक्ष, गौणिय्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठान्त संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य गौणिय्य कर अधिकरण पीठ-1 वाराणसी।
2. सदस्य गौणिय्य कर अधिकरण पीठ-5 वाराणसी।
3. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (याना-मत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी, मुख्यालय
4. सम्बन्धित अधिकारिता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आशा से,

(रमेश कुमार)

निबन्धक, गौणिय्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

